निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

24 भाद्र 1942 (श0)

(सं0 पटना 566) पटना, मंगलवार, 15 सितम्बर 2020

गन्ना उद्योग विभाग

आदेश

17 अगस्त 2020

सं० 02/रेगु०–2–800–14/2020–848—बिहार ईख (आपूर्ति एवं खरीद का विनियमन) अधिनियम–1981 की धारा–31(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, उदय कुमार सिंह, ईखायुक्त, बिहार पटना पेराई सत्र 2020–21 से 2024–25 (पाँच वर्षो) के लिए ईखापूर्ति हेतु गन्ना क्षेत्र के ग्रामों को **मेसर्स बजाज हिन्दुस्थान सुगर्स लिमिटेड,** प्रतापपुर, जिला–देवरिया (उत्तर प्रदेश) के साथ **परम्परागत** रूप में आरक्षण से संबंधित प्राप्त प्रस्ताव पर सभी संबंधित चीनी मिलों के प्रतिनिधियों, क्षेत्रीय ईख पदाधिकारियों, विभागीय पदाधिकारियों एवं अन्य संबंधितों के समक्ष विडियो कॉन्फ्रेंसिंग (V.C.) के माध्यम से दिनांक–07.08.2020 को सुनवाई की गयी।

अपने क्षेत्र आरक्षण के संबंध में मेसर्स बजाज हिन्दुस्थान सुगर्स लिमिटेड, प्रतापपुर (उ० प्र०) के प्रतिनिधि श्री आर॰ एन॰ त्रिपाठी द्वारा बताया गया कि पेराई सत्र 2017–18 में उनके चीनी मिल को पूर्व वर्षो में सीवान जिलान्तर्गत 601 ग्राम एवं गोपालगंज जिलान्तर्गत 143 ग्राम कुल 744 ग्रामों में से 601 ग्रामों (क्षेत्रीय विकास परिषद् मैरवा के 121 ग्राम एवं क्षेत्रीय विकास परिषद् न्यू सावन के 480 ग्राम) का आरक्षण आदेश अपरम्परागत रूप से प्रतापपुर चीनी मिल के पक्ष में पारित किया गया था। उन्होंने बताया कि गोपालगंज जिलान्तर्गत 140 ग्रामों (क्षेत्रीय विकास परिषद मैरवा के 87 ग्राम एवं क्षेत्रीय विकास परिषद हथुआ के 53 ग्राम) को वर्ष 2017–18 में उनकी चीनी मिल को आरक्षित ना कर मुक्त क्षेत्र घोषित कर दिया गया था जिसके विरूद्ध उनके चीनी मिल प्रबंधन के अपील पर प्रधान सचिव, गन्ना उद्योग विभाग के न्यायालय में न्याय निर्णय पारित करते हुए आदेश संख्या– 1653 दिनांक–31.10.2019 के माध्यम से गोपालगंज जिलान्तर्गत उक्त सभी 140 ग्रामों (क्षेत्रीय विकास परिषद मैरवा के 87 ग्राम एवं क्षेत्रीय विकास परिषद हथुआ के 53 ग्राम) उनके चीनी मिल के पक्ष में परम्परागत रूप से पेराई सत्र 2019–20 से 2023–24 तक कुल 5 वर्षो तक आरक्षित कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि पूर्व से क्षेत्रीय विकास परिषद मैरवा के 208 ग्राम (सीवान जिलान्तर्गत 121 ग्राम एवं गोपालगंज जिलान्तर्गत 87 ग्राम) परम्परागत रूप से आरक्षित होते रहे हैं। जिसमें गोपालगंज जिलान्तर्गत 87 ग्राम को प्रधान सचिव न्यायालय में पारित न्यायनिर्णय द्वारा उनके चीनी मिल को 2019–20 से 2023–24 तक परम्परागत रूप से आरक्षित कर दिया गया है। उनके द्वारा सीवान जिलान्तर्गत क्षेत्रीय विकास परिषद, मैरवा के 121 ग्रामों को परमपरागत रूप से आरक्षित करने का अनुरोध किया गया।

उन्होंने बताया कि उनके चीनी मिल की पेराई क्षमता 6000 TCD है। उत्तर प्रदेश क्षेत्र से उन्हें पेराई हेतु आवश्यक गन्ना नहीं मिल पाता है। बिहार क्षेत्र के गन्ना जिसे वे वर्षो से लेते आये हैं, से उनके गन्ने की आवश्यकता की पूर्ति होती है। उन्होंने यह भी बताया कि उक्त सभी 121 ग्राम चीनी मिल के शून्य से 7.5 कि० मी० परिधि क्षेत्र के अन्तर्गत अवस्थित है। इसलिए उन्होंने पुनः क्षेत्र आरक्षण का प्रस्ताव दिया है जिससे कि उन क्षेत्र में उनकी चीनी मिल ईख का विकास करते हुए अपने मिल की पेराई आवश्यकता की पूर्ति कर सके।

सुनवाई के दौरान परम्परागत आरक्षण से संबंधित इस चीनी मिल द्वारा किये गये मांग पर किसी अन्य चीनी मिल द्वारा कोई आपत्ति दर्ज नहीं की गयी।

सुनवाई के दौरान किसानों, उनके प्रतिनिधियों एवं जनप्रतिनिधियों से प्राप्त सभी अभ्यावेदनों का सूक्ष्मता से अध्ययन किया गया।

क्षेत्रीय विकास परिषद्, मैरवा के सदस्यों द्वारा अपने मंतव्य से दिनांक–13.08.2020 को विडियो कॉन्फ्रेसिंग (V.C.) के माध्यम से अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराया गया एवं यथास्थिति बनाये रखने का अनुरोध किया गया। क्षेत्र आरक्षण से संबंधित कार्यालय में संधारित अभिलेखों एवं मय नजरी नक्शा का भी अवलोकन किया गया।

इस चीनी मिल का पेराई सत्र 2019–20 का दिनांक–13.08.2020 तक ईख मूल्य भुगतान मात्र 42.76 प्रतिशत है। इस सन्दर्भ में महाप्रबंधक (ईख) द्वारा बताया गया कि 20 सितम्बर 2020 तक 75 प्रतिशत ईख मूल्य भुगतान कर दिया जायेगा तथा मिल परिचालन से पूर्व किसानों को ईख मूल्य भुगतान मद में शत–प्रतिशत भुगतान कर दिया जायेगा।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में **मेसर्स बजाज हिन्दुस्थान सुगर्स लिमिटेड, प्रतापपुर, जिला–देवरिया (उ० प्रदेश)** द्वारा प्रस्तावित आरक्षण प्रस्ताव पर सम्यक् विचारोपरान्त एवं संबद्ध पक्षो को सुनने के बाद इस चीनी मिल को पूर्व से आरक्षित होते आ रहे सीवान जिला अन्तर्गत नवतन अंचल के 41 ग्राम, मैरवा एवं गुठनी अंचल के 80 ग्राम कुल 121 ग्राम को पेराई सत्र 2020–21 से 2024–25 (पाँच वर्षो) जिसका विस्तृत विवरण संलग्न **अनुसूची 'क'** में दर्शित है, को परम्परागत रूप से आरक्षित किया जाता है:–

लेखापित एवं शुद्धित
उदय कुमार सिंह,
ईखायुक्त।

आदेश से,
उदय कुमार सिंह,
ईखायुक्त।

अनुसूची–'क

मेसर्स बजाज हिन्दुस्थान सुगर्स लिमिटेड, प्रतापपुर, जिला–देवरिया (उ० प्र०) पेराई वर्ष 2020–21 से 2024–25 के परम्परागत रूप से आरक्षित 121 ग्रामों की सूची।

जिला का नाम	प्रखण्ड का नाम	क्रम सं0	आरक्षित ग्राम का नाम	राजस्व थाना नं0
सीवान	नवतन	1	जगदीशपुर	1
		2	देवनचक	2
		3	कीलपुर	3
		4	कादीरचक	4
		5	सिसवा	5
		6	बासुदेवा	6
		7	विसुनपुरा मिश्र	7
		8	ताली	8
		9	बरईपट्टी	9
		10	मुरारपट्टी	10
		11	ठाकुर के॰ रामपुर	11
		12	नवतन	12
		13	कुरमौटा	13
		14	गन्धरपा	14

जिला का नाम	प्रखण्ड का नाम	क्रम सं0	आरक्षित ग्राम का नाम	राजस्व थाना नं0
		15	खाप बनकट	15
		16	खलवा	16
		17	रामगढ़	17
		18	सगरा	18
		19	नरकटिया	19
		20	पिपरा	20
		21	बड़ा सिकुआरा	21
		22	मराछी	22
		23	सिकुआरा	23
		24	गलिमापुर	24
		25	सेमरिया	25
		26	रहीमपुर	26
		27	बलवां	27
		28	बलवां	28
		29	सेमरा बुजुर्ग	29
		30	सेमरा खुर्द	30
		31	नारायणपुर	31
		32	मिश्रौली खास	32
		33	मिश्रौली खाप	33
		34	तिलमापुर	34
		35	प्रतापपुर	35
		36	मठिया	36
		37	शाहपुर मिश्रौली	37
		38	शाहपुर	38
		39	मिसीरचक	39
		40	हरपुर दीक्षित	40
		41	कीलपुर	41
	मैरवा	42	कबीरपुर	42
		43	डोमडीह	43
		44	सेवतापुर	44
		45	अटवां	45

जिला का नाम	प्रखण्ड का नाम	क्रम सं0	आरक्षित ग्राम का नाम	राजस्व थाना नं0
		46	पटखौली	46
		47	सुर्यपुरा	47
		48	बड़का माझा	48
		49	सिरिसिया	49
		50	चीतमठ	50
		51	बैदौली	51
		52	पुखरेड़ा	76
		53	कुलदीपा	77
		54	लक्ष्मीपुर	78
		55	बिलासपुर	79
		56	फरछुई	80
		57	गोपालचक	81
		58	मुड़ियारी	82
		59	बरासो	83
		60	सकरा	84
		61	लस्करी छापर	85
		62	नवका टोला	86
		63	घनश्याम मठिया	87
		64	श्रीनगर	88
		65	मोती छापर	89
		66	भोपतपुरा	90
		67	बड़गॉव	91
		68	नरहियां	92
		69	करजनिया	93
		70	कविता	94
		71	यदीमठिया	95
		72	धरनी छापर	96
		73	परसिया बुजुर्ग	97
		74	परसिया खुर्द	98
		75	नवादा	99
		76	कैथौली	100

जिला का नाम	प्रखण्ड का नाम	क्रम सं0	आरक्षित ग्राम का नाम	राजस्व थाना नं0
		77	हरनाथपुर	101
		78	चकिया	102
		79	चुपचुपवा	103
		80	सुरदसई	104
		81	एराजी इंगलिश	105
		82	बभनौली	106
		83	लेभरी	107
		84	डुमर छापर	108
		85	सिसवा खुर्द	109
		86	उग्रसेन छापर	110
		87	लंगड़पुरा	111
		88	लंगड़पुरा	112
		89	उपाध्या छापर	113
		90	बहुचक	114
		91	सिसवा खाप	115
		92	सिसवा बुजुर्ग	116
		93	सेनी छापर	117
		94	सीतलपुरा	118
		95	इंगलिश	119
		96	सेमरा	120
		97	कलुआ दरगाह	121
		98	सुमेरी छापर	122
		99	पिपरा	123
		100	विशुनपुरा नं० 2	124
		101	धरहरा	125
		102	धूसा	126
		103	धमौर	127
		104	विशुनपुरा नं० 1	134
		105	फरछुआ	135
		106	बिजईपुर	136
	गुठनी	107	पचनेरूई	16

जिला का नाम	प्रखण्ड का नाम	क्रम सं0	आरक्षित ग्राम का नाम	राजस्व थाना नं0
		108	पिपरपाती	17
		109	पड़री	18
		110	भठही	19
		111	चौमुखा कला	20
		112	चौमुखा खुर्द	21
		113	मलचौर	22
		114	टेकनिया	23
		115	सरफोरा	24
		116	करमदहा	25
		117	सोहराई	26
		118	बिसवार	31
		119	खड़खड़िया	32
		120	पतौवा	33
		121	एराजी इंगलिश	34

उदय कुमार सिंह,
ईखायुक्त।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 566-571+10-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in